12.3.22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
आवेदकगण हीरालाल व हनुमान सिंह निवासी
छोटूलाल मीणा के साथ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।
रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार की
रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात
मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड
के अवलोकन बाद, जाति स्वीकार योग्य प्रतीत
होने से, लोक अदालत की भावना से स्वीकार
किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखा जाकर प्रा. पत्र. निस्तारित किया जाता।
पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

C.L. Meena
(छोटू लाल मीणा)

हरिनारायण
(छीतर लाल)

बाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 23/2022

तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

यशोदाबाई पुत्री नन्दा पत्नी कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद हाल निवासीनी भैरूपुरा पोस्ट कंवरपुरा मंड तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादिनी के संयुक्त ख[illegible] व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता

स0 नई 15 पुरानी 14 के खसरा न0 346 की 0.72 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 0.72 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादिनी का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 90 पुरानी 16 के खसरा न0 347 की 0.33 हैक्टर, खसरा न0 349 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 351 की 0.40 हैक्टर, खसरा न0 451 की 0.25 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 1.16 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 91 पुरानी 16 के खसरा न0 16 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 17 की 0.08 हैक्टर, 183 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 19 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 21 की 0.48 हैक्टर, खसरा न0 251 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 255 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 260 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 261 की 0.21 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.07 हैक्टर आराजीयात स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादिनी वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में निहित अपने हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी वादिनी ने अपने हिस्से की आराजी पर फसल बो रखी है। साथ ही वादिनी ने यह भी निवेदन किया कि वादिनी ने आज से करीब एक माह पूर्व अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकलें निकलवायी तो वादिनी की जानकारी में आया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का घर का नाम कमोदरी पुत्री नन्दा दर्ज कर रखा है। उक्त नाम वादिनी का घर का बोलता नाम है, जिसे राजस्व रेकार्ड में घर परिवार के सदस्यों द्वारा [illegible] कर दिया था, जबकि वादिनी का वास्तविक नाम यशोदाबाई पुत्री नन्दा है। वादिनी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज होने से वादिनी को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से भी वंचित होना पड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रहा है तथा नाम गलत दर्ज होने से भविष्य में वाद कारित होने की काफी संभावना है, किसान केडिट कार्ड व अन्य वित्तीय सरकारी सहायता से भी वंचित होना पड रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त त्रुटि को दुरस्त किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। यही वाद की विषय वस्तु भी है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई, जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद से कोई राजहित प्रभावित नही होने तथा पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। वादिनी द्वारा अपना शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया गया व अन्य सहखातेदार छीतरलाल व स्वतन्त्र गवाह छोटूलाल मीणा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई तथा जवाब सरकार एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

बहस वकील वादिनी सुनी जाकर पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेज, रेकार्ड, जमाबंदी, पटवारी रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन करने पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाने योग्य पाऐ जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 15 पुरानी 14 के खसरा न0 346 की 0.72 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 0.72 हैक्टर आराजी व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 90 पुरानी 16 के खसरा न0 347 की 0.33 हैक्टर, खसरा न0 349 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 350 की 0.40 हैक्टर, खसरा न0 451 की 0.25 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 1.16 हैक्टर आराजी व माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 91 पुरानी 16 के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

न0 16 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 17 की 0.08 हैक्टर, 183 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 19 की 0.55 हैक्टर, खसरा न0 21 की 0.48 हैक्टर, खसरा न0 251 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 255 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 260 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 261 की 0.21 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.07 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के घर के बोलते नाम कमोदरी के स्थान पर यशोदाबाई दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested